सीएसआइआर-केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन सैक्टर 30 सी, चण्डीगढ

सं0 सीएसआइओ-एमआरसी(2)/94-जीएस

अगस्त 05, 2013

परिपत्र

सीएसआइआर-सीएसआइओ डिस्पैंसरी से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे एवं मधुमेह, तपेदिक, हृदय रोग, हाइपर टैशन, आइएचडी, मिर्गी आदि रोगों से पीड़ित समस्त कर्मियों एवं पैशन भोक्ताओं की जानकारी में लाया जाता है कि उन्हें सीएसआइआर-सीएसआइओ डिस्पैंसरी प्रभारी द्वारा एमएच एण्ड एफडब्ल्यू के दिनाँक 13 अक्तूबर, 1999 के का0 ज्ञापन सं0 11011/8/99-CGHS(P) एवं सीएसआइआर के दिनाँक 6 मई, 1998 के परिपत्र पत्र सं0 14(25)/91-EII में उल्लिखत निर्देशों के अनुसार एक बार में तीन माह की दवाएं जारी की जा सकती है बशर्ते कि विशेषज्ञ द्वारा उन्हें ये दवाएं लिखी गई हों।

सीएसआइआर-सीएसआइओ के डिस्पैंसरी प्रभारी से सरकारी विशेषज्ञ की वैध पर्ची पर एक बार में तीन माह के लिए दवाएं अपने स्तर पर देने का आग्रह है। तथापि वे उस अवधि, जिसके लिए दवाएं दी जाएं, की परस्थितियों के संबंध में स्वयं को आश्वस्त कर लें।

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ऐसे सभी मामलों, जिनमें संबंधित लाभान्वित को लम्बी अविध के लिए दवाएं दी जाती हैं, का रिकॉर्ड रख लें जिसमें रोगी का नाम, रोग एवं दवाएं जारी करने के औचित्य का उल्लेख किया गया हो।

यह निदेशक, सीएसआइओ के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(अनिल कुमार) प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि:

- सभी वर्टिकल/हॉरिजोनटल/प्रभाग प्रमुख- स्टाफ की जानकारी में लाने हेत्।
- 2. एसएमओ/एलएमओ, सीएसआइआर-सीएसआइओ डिस्पैसरी
- 3. निजी सचिव, निदेशक
- 4. निजी सचिव, प्रशा0 नियं0
- 5. निजी सहायक, प्रशा0 अधि0
- 6. प्रमुख एमआइएस- इंटरानेट एवं संगठन के पैशर्न्स पोर्टल पर डालने के लिए।
- 7. सभी सूचना पट्ट

CSIR-Central Scientific Instrument Organisation Sector 30-C, Chandigarh

No. CSIO/MRC(2)/94-GS

5th August 2013

CIRCULAR

All CSIR-CSIO employees and pensioners who are availing of medical facilities from CSIR-CSIO Dispensary and are suffering from chronic illnesses like diabetes, tuberculosis, heart ailment, hypertension, I.H.D., epilepsy, etc. are hereby informed that they can be issued medicines for a period of three months at a time by Medical Officer-in-Charge of the CSIR-CSIO Dispensary, provided the specialist has prescribed the medicines for a long period in terms of instructions contained in MH&FW OM No. S-11011/8/99-CGHS(P) dated 13/10/1999 read with CSIR circular letter No. 14(25)/91-EII dated 06.05.1998.

Medical Officer-in-Charge of the CSIR-CSIO Dispensary is requested to issue medicines at his level for a period of three months at a time against the individual valid prescription containing the advice of the Government specialist. However, he may satisfy himself of the circumstances for the period for which the medicines are issued.

Medical Officer-in-Charge may also maintain the records indicating all such cases where medicines are issued to concerned beneficiaries for a long period along with the name of the beneficiary, diagnosis and justification for issue of medicines.

This issues with the approval of the Director, CSIR-CSIO.

(Anil Kumar) Controller of Administration

Copy to:

- All Vertical/Horizontal/Divisional Heads- for circulation amongst staff members working under them.
- 2. SMO/LMO, CSIR-CSIO Dispensary
- 3. PS to Director
- 4. PS to COA
- 5. PA to AO
- 6. Head MIS- for uploading on CSIO intranet and CSIO website (Pensioners portal)
- 7. All Notice Boards